भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2327

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

डिजिटलीकरण के माध्यम से न्याय वितरण प्रणाली

+2327. श्री बसवराज बोम्मई :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर के न्यायालयों, जिनमें उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं, में लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा, विशेषकर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए न्याय निर्णय के विलंब को कम करने और न्याय की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार का डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से न्याय निर्णयन प्रणाली के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो ई-न्यायलयों और संबंधित पहलों के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उक्त उपायों से न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता में किस प्रकार सुधार हुआ है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 10.02.2026 तक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय सहित देश भर की अदालतों, में लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

न्यायालय के नाम	**लंबित मामलों की संख्या**
उच्चतम न्यायालय	92,320
उच्च न्यायालय	63,62,174
जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,81,60,880
कुल	**5,46,15,374**

(ख) : मुकदमों का निपटारा न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अनिवार्य रूप से मुकदमों के शीघ्र निपटान और लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मुकदमों के त्वरित निपटान के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने हेतु कई पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मुकदमों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनर्गठन और मानव संसाधन विकास पर जोर सम्मिलित है। 31.12.2025 तक लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत आने वाले अपराधों से संबंधित मामलों के समयबद्ध सुनवाई और निपटान के लिए 398 विशेष ई-पीओसीएसओ न्यायालय सहित 774 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी), स्थापित किए गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39क के अनुसार और निवारक एवं रणनीतिक विधिक सहायता के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से देश में विभिन्न विधिक सेवा क्रियाकलापों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विधिक सहायता की व्यवस्था करने के लिए सके वचनबंध है ।

(ग) से (ङ) : भारत सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के सहयोग से डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से न्याय वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना शुरू की है। 31 दिसंबर, 2025 तक, ई-कोर्ट परियोजना के अधीन महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

i. उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 3,93,22,695 मामलों की सुनवाई (आभासी सुनवाई) की गई है।

ii. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लागू कर दिए गए हैं।

iii. ई-फाइलिंग के नियम, ई-भुगतान की सुविधा और आईसीजेएस (ICJS) लगभग सभी उच्च न्यायालयों में लागू किए जा चुके हैं।

iv. देश भर में कार्यरत 29 वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से कुल 94,55,288 चालान का भुगतान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप चालान राशि के रूप में 9,73,25,50,414 रुपये एकत्र किए गए हैं।

v. उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ई-फाइलिंग के माध्यम से 1,03,96,720 मामले प्रस्तुत किए गए हैं।

vi. ई-कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप के डाउनलोड की संख्या 3,54,86,435 है, जबकि ई-न्यायालय सर्विसेज जस्टआईएस ऐप के डाउनलोड की संख्या 22,090 है।

vii. उच्च न्यायालयों में 2,36,96,50,903 पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया है, और जिला न्यायालयों में 4,00,89,15,374 पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया है।

viii. 37 उच्च न्यायालयों और 30 जिला न्यायालयों में न्याय घड़ियाँ स्थापित की गई हैं।

ix. देश भर में उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में कुल 2,331 ई-सेवा केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे बड़ी संख्या में वादियों को लाभ मिल रहा है।

x. सीआईएस 4.0 को सभी न्यायालय परिसरों में लागू कर दिया गया है और ई-समिति ने सीआईएस 4.0 पर एक उपयोगकर्ता मैनुअल भी जारी किया है।

xi. ई-कोर्ट पहल के अंतर्गत, मुकदमों की स्थिति, वाद सूची, फैसले और अन्य संबंधित जानकारियों पर लगभग वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करने के लिए सात प्लेटफॉर्म स्थापित किए गए हैं। ये अपडेट वकीलों और वादियों को एसएमएस पुश और पुल (प्रतिदिन 4 लाख से अधिक एसएमएस भेजे जाते हैं), ईमेल (प्रतिदिन 6 लाख से अधिक भेजे जाते हैं), बहुभाषी ई-कोर्ट सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट्स के साथ), न्यायिक सेवा केंद्रों (जेएससी) और सूचना कियोस्क के माध्यम से भेजे जा रहे हैं।

xii. गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कलकत्ता सहित कई उच्च न्यायालयों में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई है, जिससे मीडिया और अन्य इच्छुक पक्ष कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।

xiii. न्यायालय परिसरों में सौर ऊर्जा सुविधाएं स्थापित करने के लक्ष्य का कुल 96.1% प्राप्त कर लिया गया है।

xiv. मोटर दुर्घटना दावा याचिकाओं के त्वरित, ऑनलाइन और अतुल्यकालिक निपटान को सुगम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (ई-एमसीटी) प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। पायलट कोर्ट में 07.05.2025 से ई-एमसीटी परियोजना का वास्तविक वातावरण में परीक्षण शुरू हो गया है।

XV. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) को उन्नत डैशबोर्ड के साथ अपग्रेड किया गया है, जो लंबित मामलों की पहचान करने, उनका प्रबंधन करने और उन्हें कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत मामलों के निपटान में देरी के कारणों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।

****